an>

Title: Need to take effective measures to abolish child labour in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज बाल श्रम ने दुनिया के जिन तमाम देशों में एक गम्भीर समस्या का रूप धारण कर लिया है, उनमें भारत भी है। बाल श्रम निषेध होने और उच्चतम न्यायालय के तमाम निर्देशों के बावजूद बच्चों को मजदूरी से रोकने में अभी भी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पायी है। रह-रह कर बंधुआ बाल मजदूरी के मामले सामने आते रहते हैं। गरीब परिवारों के माँ-बाप अपनी कठिन आर्थिक परिस्थियों से पार पाने के लिए अपने बच्चों को विभिन्न तरह के कामों पर लगाना उचित समझते हैं। समाज के एक तबके में यह धारणा भी व्याप्त है कि बच्चों को प्रारम्भ से ही किसी न किसी हुनर से लैस हो जाना चाहिए। इस सबके चलते तमाम बच्चे बाल मजदूर बने जाते हैं और फिर वे मजदूरी के चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। वे शिक्षा के साथ स्वयं के स्वाभाविक विकास से भी वंचित होते हैं तथा जोखिम भरे काम करने के साथ ही शोषण का शिकार होते हैं। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को भारत सरकार भी पालन करने के लिए वचनबद्ध है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश में बाल श्रम की एक बड़ी वजह निर्धनता के उन्मूलन तथा जागरूकता हेतु तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं। â€¦ (*Interruptions*)